प्रेस नोट

धुंध/कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु कार्यवाही व व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

वर्तमान में अत्यधिक कोहरा/धुंध के कारण visibility कम होने के फलस्वरूप अधिक दुर्घटना होने की सम्भावना बढ़ गयी है। इसके दृष्टिगत यूपीडा के सभी एक्सप्रेसवे यथा आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर तत्काल आवश्यक व्यवस्था एवं प्रभावी कार्यवाही कराये जाने की आवश्यकता है। इस क्रम में निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है:–

1. सुरक्षा टीम द्वारा अधिक Fog की स्थिति (50 मीटर से कम Visibility) में निकटस्थ Toll/Way Side Amenities/Petrol Pump/Restaurant पर वाहनों को अपील कर रोका जाए व एकत्रित कर कन्वाय (Convoy) में एक साथ रवाना कराया जाए। इस हेतु नोडल अधिकारी (सुरक्षा) द्वारा पुलिस विभाग से समन्वय कर SOP तैयार कराते हुए सुरक्षा टीम को ब्रीफ कर क्रियान्वयन कराया जाए।
2. एक्सप्रेसवे पर पूर्व निर्धारित अधिकतम गति सीमा घटाकर निम्नानुसार किया जाना है:–
   - ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम–1 प्रवर्ग यान) – (पूर्व निर्धारित 120 किमी/घण्टा)
     - प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक – **80 किमी/घण्टा**
     - रात्रिः 08:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक – **60 किमी/घण्टा**
   - ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम–2 व एम–3 प्रवर्ग यान) – (पूर्व निर्धारित 100 किमी/घण्टा)
     - प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक – **60 किमी/घण्टा**
     - रात्रिः 08:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक – **50 किमी/घण्टा**
   - ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है (सभी एन प्रवर्ग यान) – (पूर्व निर्धारित 80 किमी/घण्टा)
     - प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक – **50 किमी/घण्टा**
     - रात्रिः 08:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक – **40 किमी/घण्टा**

   गति सीमा घटाने सम्बन्धी उक्त व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए व समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराया जाए एवं एक्सप्रेसवे के साइनबोर्ड पर चलाया जाए। उक्त संशोधित गति सीमा तत्काल प्रभाव से 15 फरवरी या कोहरे की स्थिति ठीक होने तक लागू रहेगी।
3. ए0टी0एम0एस0 में ओवरस्पीड चालान की व्यवस्था पुनर्निर्धारित गति सीमा के आधार पर कराने की व्यवस्था बनायी जाए।

4. कोहरे/धुंध के दृष्टिगत सुरक्षित यात्रा से सम्बन्धित पम्पलेट्स तैयार कराकर एक्सप्रेसवे के Toll Plaza, Road Side Facilities, Entry-Exit Point, Way Side Amenities पर बटवाने की व्यवस्था की जाए, जिसमें दुर्घटना से बचने हेतु गति सीमा नियंत्रित करने के साथ–साथ Way Side Amenities व पेट्रोल पम्प की लोकेषन, हेल्पलाइन नम्बर आदि विवरण भी सम्मिलित किया जाए। पत्र के साथ एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित यात्रा हेतु यात्रियों से की जाने वाली अपील का प्रारूप संलग्न है।

   उक्त सूचना सभी टोल प्लाजा पर PA System के माध्यम से Announcement कराया जाए व Driving निर्देश व उपायों को रेडियों व FM में इस अवधि में प्रसारित कराया जाए।

   उक्त सूचना को बड़े–बड़े बोर्ड के माध्यम से Entry/Exit, टोल प्लाजाओं एवं रोड साईड फैसिलिटी पर लगाए जाए व इस आशय की सूचना समाचार–पत्रों में प्रकाशित करायी जाये।

5. सुरक्षा टीम द्वारा भी अपने पैट्रोलिंग वाहन के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार किया जाए तथा 24X7 सतर्क रहकर सुरक्षा/पैट्रोलिंग/एम्बुलेंस आदि सेवाओं को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था और सुदृढ़ की जाय। इस हेतु आवश्यक अतिरिक्त एम्बुलेंस व वाहनों का आकलन कर तैनात कराया जाए।

6. समस्त एक्सप्रेसवे पर लगी रिफलेक्टिव का नियमित निरीक्षण कराकर कम साईन/रिफलेक्शन वाले पैच पर रिफलेक्टिव ठीक कराया जाए। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा सम्बन्धी MoRTH व IRC द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी आवष्यक व्यवस्थायें CE/CGM द्वारा सुनिष्चित करायी जाए।

   समस्त एक्सप्रेसवे पर Entry-Exit Point पर Fog Light लगाया जाए तथा एक्सप्रेसवे पर बड़े बोर्ड पर कोहरे के खतरे की सम्भावना के दृष्टिगत नियंत्रित गति की अपील की जाए।

7. एक्सप्रेसवे पर जहाँ भी Curve है व जिस स्ट्रेच में नदी/नाले के समीपता के कारण घना कोहरा रहता है, वहां रोड रिफलेक्टर की संख्या बढवाएं व ब्लिंकर्स भी लगवाए। रिफलेक्टर की संख्या बढ़ायी जाए।

8. समस्त एक्सप्रेसवे पर, जिन स्थानों/पैच में निर्माण/रख–रखाव का कार्य हो रहा है, वहां पर्याप्त व प्रभावी सुरक्षात्मक व्यवस्थायें व रिफलेक्टिव बोर्ड व ब्लिंकर्स लगाया जाए।

9. उपरोक्त व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, मुख्य महाप्रबन्धक व नोडल अधिकारी (सुरक्षा) द्वारा भ्रमण कर उपरोक्त व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाए।

अतः अनुरोध है कि वर्तमान में कोहरा/धुंध के कारण एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना के प्रभावी नियंत्रण हेतु उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित यात्रा हेतु यात्रियों से अपील

अत्यधिक कोहरे/धुंध के कारण Visibility कम होने के फलस्वरूप यूपीडा के सभी एक्सप्रेसवे के यात्रियों को सुरक्षित यात्रा हेतु सुझाव निम्नानुसार हैः–

1. अधिक Fog की स्थिति (जिसकी 50 मीटर से कम Visibility हो) पर वाहन निकटतम Way Side Amenities, Toll या Petrol Pump पर पार्क कर रूक जाय व Visibility ठीक होने पर ही यात्रा प्रारम्भ करें। नींद व थकान की स्थिति में निकटतम Way Side Amenities o Petrol Pump पर वाहन रोककर विश्राम करें।
2. दिनांक 19.12.2025 से 15.02.2026 तक एक्सप्रेसवे पर पुनर्निर्धारित अधिकतम गतिसीमा का अनुपालन करें।
   - ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम–1 प्रवर्ग यान) – (पूर्व निर्धारित 120 किमी/घण्टा)
     - प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक – **80 किमी/घण्टा**
     - रात्रिः 08:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक – **60 किमी/घण्टा**
   - ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम–2 व एम–3 प्रवर्ग यान) – (पूर्व निर्धारित 100 किमी/घण्टा)
     - प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक – **60 किमी/घण्टा**
     - रात्रिः 08:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक – **50 किमी/घण्टा**
   - ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है (सभी एन प्रवर्ग यान) – (पूर्व निर्धारित 80 किमी/घण्टा)
     - प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक – **50 किमी/घण्टा**
     - रात्रिः 08:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक – **40 किमी/घण्टा**

   गतिसीमा का पालन न करने की दषा में ए0टी0एम0एस0 के माध्यम से चालान किया जाता है।

3- सुरक्षा की दृष्टि से Toll/Way Side Amenities/Petrol Pump/Restaurant पर रूक कर कन्वाय (Convoy) में यात्रा करने का प्रयास करें। इस हेतु यूपीडा की सुरक्षा टीम का सहयोग करे।

4- यात्रा के दौरान वाहन के सभी Emergency Indicator Light जलाकर चले व Fog हेतु वाहन के आगे व पीछे Reflective Tape लगवाये।

5. चिन्हित स्थान Way Side Amenities, Toll व Petrol Pump, Restaurants के अतिरिक्त एक्सप्रेसवे पर या उसके किनारे कही भी वाहन पार्क न करें। इससे कम Visibility होने के कारण पार्क वाहन के साथ–साथ अन्य वाहनों के भी दुर्घटना होना सम्भावित है।
6. किसी Emergency के दौरान यूपीडा के हेल्पलाइन नम्बर 14449 पर सम्पर्क करें।
7. यूपीडा व सुरक्षा टीम द्वारा सुरक्षित यातायात हेतु दिये जा रहे अपील का अनुपालन व की जा रही व्यवस्था में सहयोग प्रदान करे।